

क्र.सं.  
45/2022

लक्ष्मण सिंह चौधरी / राजस्थान राज्य जडिफ  
वेण्ड एन्डर तहसीलदार चौधरी

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	01/8/22	<p>वकील वाडी उपना तहसीलदार चौधरी से तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त। यत्रावली का इन्फार्मेशन किया गया। तहसीलदार चौधरी से प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार वाडीगण का वाड स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाडीगण का वाड स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल भिजवा दिया गया। यत्रावली इन्फार्मेशन के तहत वाडीगण का वाड स्वीकार होना उचित प्रतीत होता है। सहायक कलक्टर चौधरी (जयपुर)</p>

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर**  
पीठासीन अधिकारी :- सुश्री सीमा खेतान (R.A.S.)  
उनवान

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र बजरंग सिंह
2. शिवपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह
3. मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम छोटगुढ़ा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर(राज०)।  
-वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।


-प्रतिवादी

**वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती**

मुकदमा नं०:-45/2022

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस. मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

वाके ग्राम कीरतसिंह का बास, पटवार हल्का गुड़लिया, भू-अभि० निरीक्षक क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 56 के हाल खसरा नम्बर 544 रकबा 0.09 है०, खसरा नम्बर 546/1054 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 547/1055 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 548 रकबा 0.45 है०, खसरा नम्बर 550/917 रकबा 0.23 है०, खसरा नम्बर 559/918 रकबा 0.14 है०, खसरा नम्बर 560 रकबा 4.14 है०, खसरा नम्बर 642/1166 रकबा 0.16 है०, खसरा नम्बर 549/921 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 650/920 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 651/919 रकबा 0.05 है०, कुल किता 11 का रकबा 5.4500 हैक्टेयर भूमि तथा हाल खाता संख्या 72 के हाल खसरा नम्बर 484 रकबा 0.63 है०, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.65 है०, खसरा नम्बर 522 रकबा 0.27 है०, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.40 है०, खसरा नम्बर 559/1136 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 559/926 रकबा 0.36 है०, खसरा नम्बर 634 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 638/925 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 639 रकबा 0.26 है०, खसरा नम्बर 643 रकबा 2.19 है०, खसरा नम्बर 644 रकबा 1.57 है०, खसरा नम्बर 645 रकबा 0.67 है०, खसरा नम्बर 646 रकबा 0.89 है०, खसरा नम्बर 647 रकबा 0.89 है०, खसरा नम्बर 647/1168

  
सहायक कलक्टर  
चौमूँ (जयपुर)

रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 648 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 649/1139 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.74 है०, खसरा नम्बर 650/1139 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 651 रकबा 2.35 है०, खसरा नम्बर 651/1138 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.82 है०, खसरा नम्बर 653/927 रकबा 0.43 है०, कुल किता 24 का कुल रकबा 13.6500 हैक्टेयर भूमि तथा हाल खाता संख्या 98 के हाल खसरा नम्बर 116 रकबा 0.40 है०, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.31 है०, खसरा नम्बर 415 रकबा 1.14 है०, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.8500 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के हिरसे की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम क्रमशः वादी सं० 1 लिखमण सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर लक्ष्मण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, वादी सं० 2 श्यामलाल पुत्र बजरंग सिंह व श्योपाल पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर शिवपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह तथा वादी सं० 3 मुकन्द सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह दुरुस्त कर तदनुसार इन्द्राज किया जावे।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।  
 बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 01.08.2022 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त ..... कलक्टर  
 ..... (जगपुर)  
 ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
8.मुतफरिक		7.मुतफरिक	
जोड़	4	जोड़	0

दस्तख्त ..... कलक्टर  
 ..... (जगपुर)

मुकदमा सं०-45/2022  
उनवान-लक्ष्मणसिंह बनाम राज० सरकार  
निर्णय दिनांक- 01.08.2022

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला-जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री सीमा खेतान (R.A.S.)

मुकदमा नं०:-45/2022

उनवान

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र बजरंग सिंह
2. शिवपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह
3. मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम छोटागुढा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर(राज०)।

-वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-प्रतिवादी

वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक :-01.08.2022

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ग्राम छोटागुढा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर का रहने वाला काशतकार पेशा व्यक्ति है। वाके ग्राम कीरतसिंह का बास, पटवार हल्का गुड़लिया, भू-अभि० निरीक्षक क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 56 के हाल खसरा नम्बर 544 रकबा 0.09 है०, खसरा नम्बर 546/1054 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 547/1055 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 548 रकबा 0.45 है०, खसरा नम्बर 550/917 रकबा 0.23 है०, खसरा नम्बर 559/918 रकबा 0.14 है०, खसरा नम्बर 560 रकबा 4.14 है०, खसरा नम्बर 642/1166 रकबा 0.16 है०, खसरा नम्बर 549/921 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 650/920 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 651/919 रकबा 0.05 है०, कुल किता 11 का कुल रकबा 5.4500 हैक्टेयर भूमि तथा हाल खाता संख्या 72 के हाल खसरा नम्बर 484 रकबा 0.63 है०, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.65 है०, खसरा नम्बर 522 रकबा 0.27 है०, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.40 है०, खसरा नम्बर 559/1136 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 559/926 रकबा 0.36 है०, खसरा नम्बर 634 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 638/925 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 639 रकबा 0.26 है०, खसरा नम्बर 643 रकबा 2.19 है०, खसरा नम्बर 644 रकबा 1.57 है०, खसरा नम्बर 645 रकबा 0.67 है०, खसरा नम्बर 646 रकबा 0.89 है०, खसरा नम्बर 647 रकबा 0.89 है०, खसरा नम्बर 647/1168

880  
सहायक कलक्टर  
चौमूँ (जयपुर)

मुकदमा सं०-45/2022

उनवान-लक्ष्मणसिंह बनाम राज० सरकार

निर्णय दिनांक- 01.08.2022

रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 648 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 649/1139 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.74 है०, खसरा नम्बर 650/1139 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 651 रकबा 2.35 है०, खसरा नम्बर 651/1138 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.82 है०, खसरा नम्बर 653/927 रकबा 0.43 है०, कुल किता 24 का कुल रकबा 13.6500 हैक्टेयर भूमि तथा हाल खाता संख्या 98 के हाल खसरा नम्बर 116 रकबा 0.40 है०, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.31 है०, खसरा नम्बर 415 रकबा 1.14 है०, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.8500 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि में वादी सं० 1 का नाम लिछमण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, वादी सं० 2 का नाम श्यामलाल पुत्र बजरंग सिंह व श्योपाल पुत्र बजरंग सिंह तथा वादी सं० 3 का नाम मुकन्द सिंह पुत्र बजरंग सिंह राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज हो गया जबकि वादीगण के सभी दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, भामाशाह कार्ड, बिजली बिल व पेन कार्ड आदि में वादीगण का नाम क्रमशः लक्ष्मण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, शिवपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह तथा मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह दर्ज है जिस कारण उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम क्रमशः वादी सं० 1 का नाम लिछमण सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर लक्ष्मण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, वादी सं० 2 का नाम श्यामलाल पुत्र बजरंग सिंह व श्योपाल पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर शिवपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह तथा वादी सं० 3 का नाम मुकन्द सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह अंकित किया जाना न्यायोचित होगा।

वादीगण का असली व पहचान का नाम क्रमशः लक्ष्मण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, शिवपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह तथा मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह है तथा समाज व परिवार में भी इसी नाम से जाने जाते हैं, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश वादीगण का नाम क्रमशः लिछमण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, श्यामलाल पुत्र बजरंग सिंह व श्योपाल पुत्र बजरंग सिंह तथा मुकन्द सिंह पुत्र बजरंग सिंह दर्ज हो गया, जिसमें वादीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा सरकारी विभागों में नाम की भिन्नता होने से पहचान भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है तथा अपनी राजस्व भूमि के उक्त खाते के रिकॉर्ड में नाम क्रमशः लिछमण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, श्यामलाल पुत्र बजरंग सिंह व श्योपाल पुत्र बजरंग सिंह तथा मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह होने व दस्तावेजों में नाम क्रमशः लक्ष्मण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, शिवपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह तथा मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह होने से वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम क्रमशः लिछमण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, श्यामलाल पुत्र बजरंग सिंह व श्योपाल पुत्र बजरंग सिंह तथा मुकन्द सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर लक्ष्मण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, शिवपाल

सहायक कलेक्टर  
जयपुर

मुकदमा सं०-45/2022  
जनवान-लक्ष्मणसिंह बनाम राज० सरकार  
निर्णय दिनांक- 01.08.2022

सिंह पुत्र बजरंग सिंह तथा मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह अंकित किया जाना न्यायोचित होगा।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा गया है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 56, 72 व 98 प्रत्येक में वादीगण के खातेदारी हिस्से में वादीगण का नाम क्रमशः लिखमण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, श्यामलाल पुत्र बजरंग सिंह व श्योपाल पुत्र बजरंग सिंह तथा मुकन्द सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर लक्ष्मण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, शिवपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह तथा मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह दुरुस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

वादीगण द्वारा स्वयं के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये हैं। प्रतिवादी तहसीलदार चौमूं की ओर से वादीगण के नाम से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 29.07.2022 पेश की गई है, जिसके मुताबिक वादीगण का असली व पहचान का नाम क्रमशः लक्ष्मण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, शिवपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह तथा मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह है तथा समाज व परिवार में यह व्यक्ति इसी नाम से जाना जाता है। अतः खाता संख्या 56, 72 व 98 में वादीगण का नाम लक्ष्मण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, शिवपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह तथा मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि में अपना नाम क्रमशः लिखमण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, श्यामलाल पुत्र बजरंग सिंह व श्योपाल पुत्र बजरंग सिंह तथा मुकन्द सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर लक्ष्मण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, शिवपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह तथा मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह दुरुस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन व रिपोर्ट तहसीलदार, तहसील चौमूं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी सं० 1 लिखमण सिंह पुत्र बजरंग सिंह व लक्ष्मण सिंह पुत्र बजरंग सिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं, वादी सं० 2 श्यामलाल पुत्र बजरंग सिंह व श्योपाल पुत्र बजरंग सिंह व शिवपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा वादी सं० 3 मुकन्द सिंह पुत्र बजरंग सिंह व मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं। न्यायालय अभिमत में क्रमशः लिखमण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, श्यामलाल पुत्र बजरंग सिंह व श्योपाल पुत्र बजरंग सिंह तथा मुकन्द सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर लक्ष्मण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, शिवपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह तथा मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह नाम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम कीरतसिंह का बास, पटवार हल्का गुडलिया, भू-अभि० निरीक्षक क्षेत्र किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 56 के हाल खसरा नम्बर 544 रकबा 0.09 है०, खसरा नम्बर

संलग्न कलक्टर  
चौमूं (जयपुर)

मुकदमा सं०-45/2022  
उनवान-लक्ष्मणसिंह बनाम राज० सरकार  
निर्णय दिनांक- 01.08.2022

546/1054 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 547/1055 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 548 रकबा 0.45 है०, खसरा नम्बर 550/917 रकबा 0.23 है०, खसरा नम्बर 559/918 रकबा 0.14 है०, खसरा नम्बर 560 रकबा 4.14 है०, खसरा नम्बर 642/1166 रकबा 0.16 है०, खसरा नम्बर 549/921 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 650/920 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 651/919 रकबा 0.05 है०, कुल किता 11 का कुल रकबा 5.4500 हैक्टेयर भूमि तथा हाल खाता संख्या 72 के हाल खसरा नम्बर 484 रकबा 0.63 है०, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.65 है०, खसरा नम्बर 522 रकबा 0.27 है०, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.40 है०, खसरा नम्बर 559/1136 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 559/926 रकबा 0.36 है०, खसरा नम्बर 634 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 638/925 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 639 रकबा 0.26 है०, खसरा नम्बर 643 रकबा 2.19 है०, खसरा नम्बर 644 रकबा 1.57 है०, खसरा नम्बर 645 रकबा 0.67 है०, खसरा नम्बर 646 रकबा 0.89 है०, खसरा नम्बर 647 रकबा 0.89 है०, खसरा नम्बर 647/1168 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 648 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 649/1139 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.74 है०, खसरा नम्बर 650/1139 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 651 रकबा 2.35 है०, खसरा नम्बर 651/1138 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.82 है०, खसरा नम्बर 653/927 रकबा 0.43 है०, कुल किता 24 का कुल रकबा 13.6500 हैक्टेयर भूमि तथा हाल खाता संख्या 98 के हाल खसरा नम्बर 116 रकबा 0.40 है०, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.31 है०, खसरा नम्बर 415 रकबा 1.14 है०, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.8500 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के हिस्से की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम क्रमशः वादी सं० 1 लिछमण सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर लक्ष्मण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, वादी सं० 2 श्यामलाल पुत्र बजरंग सिंह व श्योपाल पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर शिवपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह तथा वादी सं० 3 मुकन्द सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर मुकन सिंह पुत्र बजरंग सिंह दुरुस्त कर तदनुसार इन्द्राज किया जावे।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर  
चौमू